



MPonline Limited



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
के अंतर्गत संचालित
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
के अंतर्गत जिला स्तर पर स्वीकृत संविदा
पदों पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड
के माध्यम से भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2014–15

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर स्वीकृत संविदा पदों पर भर्ती के लिए एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. स्वीकृत रिक्त संविदा पदों का विवरण :-

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत संविदा पद संख्या
1	लेब टेक्निशियन (Lab Technician)	59
2	फॉर्मासिस्ट (Pharmacist)	55

2. संविदा रिक्त पदों पर आरक्षण का विवरण –

2.1 संविदा रिक्त पदों पर राज्य स्तरीय आरक्षण लागू होगा, जिसके लिए पदों का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगा:-

संविदा पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		विकलांग (अस्थिवाधित)		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
लेबटेक्निशियन (Lab Technician)	59	20	9	8	4	6	3	6	2	1	0	59
फॉर्मासिस्ट (Pharmacist)	55	18	8	8	3	6	3	6	2	1	0	55

3. चयन प्रक्रिया –

3.1 उपरोक्त पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

क्र.	संविदा केडर	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
1.	लेब टेक्निशियन (Lab Technician)	<ul style="list-style-type: none"> 12 वी.(10+2) with DMLT BMLT 45 वर्ष की छूट प्राप्त अभ्यर्थी हेतु म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 11 वी उत्तीर्ण (पीसीबी)।
		वांछनीय
		<ul style="list-style-type: none"> B.Sc. (Biology) with DMLT. BMLT
		अनिवार्य कार्य अनुभव
		<ul style="list-style-type: none"> मेडिकल/ बॉयोलाजीकल प्रयोगशाला में 1 वर्ष का नियमित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतत्तर कार्यानुभव।
2	फॉर्मासिस्ट (Pharmacist)	अनिवार्य
		<ul style="list-style-type: none"> Diploma in Pharmacy

	<ul style="list-style-type: none"> • PG Diploma in Principles of Clinical Pharmacology • Bachelor of Pharmacy • Bachelor of Pharmacy in Pharmacology • M.Sc. Pharmacy • Masters in Pharmacy <p style="text-align: center;"><u>(Any of the above)</u></p> <p style="text-align: center;">तथा</p> <ul style="list-style-type: none"> • म.प्र. फार्मसी काउंसिल मे जीवित पंजीयन।
	अनिवार्य कार्य अनुभव
	<ul style="list-style-type: none"> • दो वर्ष का दवा वितरण तथा भण्डारण का नियमित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतोत्तर कार्यानुभव • शासकीय स्वास्थ्य संस्था में फॉर्मासिस्ट का नियमित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतोत्तर कार्यानुभव
<p>(कार्यानुभव हेतु शासकीय संस्थान/गैर शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस./ई.पी.एफ. कटौती संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)</p>	

- संविदा पदों हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं **परिशिष्ट-1** से **2** में दर्शाये न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर दक्षता, कार्यानुभव एवं स्थानीय निवास के आधार पर आधारित 100 अंकों के स्कोरिंग प्रपत्र अनुरूप वरीयता सूची बनायी जायेगी एवं जिले के आवंटन हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग भी की जायेगी।
- वरियता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाएगा।
- वरियता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में जन्मतिथी के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जावेगा।
- रिक्त पदों का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट-3 व 4** पर उपलब्ध है। ऑनलाईन काउंसिलिंग के दौरान जिलों के चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा अनुसार किसी भी जिले अथवा सूची में दर्शाये समस्त जिलों का विकल्प दिया जा सकेगा।
- तदोपरांत एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा दर्शाये आरक्षण नियम अनुसार वरीयता सूची के आधार पर जिलों के आवंटन हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी।
- जिले का आवंटन, वरीयता एवं जिलों की दी गई प्राथमिकता के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग के उपरांत जिलों में चयनित अभ्यर्थी के निर्धारित अवधि में उपस्थित न होने की स्थिति में रिक्त पद हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एक माह के उपरांत पुनः द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा।
- द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग के पूर्व रिक्त पदों की जानकारी राज्य स्तर पर संकलित कर मिशन द्वारा एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी।
- द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। तदोपरांत दर्शाये क्षैतिज व प्रभागवार आरक्षण (Horizontal and Compartmentalized

Reservation) अनुसार एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा जिलेवार/वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार कर पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. वरियता सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एस.एम.एस. तथा ई-मेल से सूचित किया जायेगा। अतः आवेदकों को अपना सही मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।
14. एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा उपरोक्तानुसार जारी सूची प्रावधिक होगी जिसे ऑनलाईन आवेदन से भरी गयी जानकारी एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से पुष्टि होने पर ही अंतिम माना जावेगा।
15. प्रावधिक वरियता सूची विभागीय वेबसाईट एवं एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
16. **परिशिष्ट-3 व 4** में दर्शाये अनुसार समस्त संविदा पदों की पदस्थापना, आवंटित जिले के जिला मुख्यालयों पर की जायेगी।
17. चयनित संविदा अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
18. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी एवं मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे:-
 - हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
 - संविदा पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
 - राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (अस्थिबाधित अभ्यर्थी हेतु)
 - कार्यानुभव हेतु शासकीय संस्थान/गैर शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस./ई.पी.एफ. कटौती संबंधी दस्तावेज अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध बैंक स्टेटमेंट
19. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अथवा संविदा नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
20. **निर्हतायें:-**
 - 20.1 उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
 - 20.3 **कूटरचित अभिलेख/फर्जी** दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं चयन के समय जानकारी छिपाने पर।
 - 20.4 **कदाचरण संबंधी** - शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत अथवा नैतिक पतन हेतु दण्डित को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

- 20.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध **अपराधिक प्रकरण** दर्ज हों अथवा किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो, को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 20.6 ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, उन्हें संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ हो।
- 20.7 **विवाह संबंधी** – ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह नियत की गई न्यूनतम आयु अर्थात् पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हुई हो, उन्हें संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
21. **वरीयता सूची एवं प्रतिक्षा सूची की वैधता** – वरीयता सूची एवं प्रतिक्षा सूची की वैधता, सूची जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी।
22. **संविदा अवधि एवं संविदा नियम** –
- 22.1 उपरोक्त संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2015 तक के लिए होगी। उक्त अवधि के पश्चात भारत सरकार से पद की निरंतरता एवं कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति अवधि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- 22.2 संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 22.3 संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होगा, परन्तु प्रशासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये युक्तियुक्तकरण के तहत पद स्थल परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।
- 22.4 संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2014 को की जावेगी।
- 22.5 महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) एवं पुरुष/महिला आवेदक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी प्रवर्ग की आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 22.6 संविदा कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। इस अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 22.7 यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलम्ब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्तकर्ता अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 22.8 संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एकमुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।
- 22.9 नियुक्ति उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके नियुक्ति स्थान पर निवास करना अनिवार्य होगा।

- 22.10 संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।
- 22.11 संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दोषी पाये जाने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 22.12 संविदा कर्मचारी मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
- 22.13 जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों से संविदा नियुक्ति एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
- 22.14 संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो पदस्थापना जिले के जिला स्वास्थ्य समिति को एक माह की पूर्व सूचना अथवा उक्त समिति के खाते में एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि जमा करना होगी।
23. **कार्यदायित्व :-** कार्यदायित्वों का विवरण **परिशिष्ट-5 व 6** पर संलग्न है।
24. **मासिक मानदेय :-**
- 24.1 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी को **परिशिष्ट-7** में दर्शाये अनुरूप प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का ई-भुगतान किया जायेगा।
- 24.2 महंगाई एवं अन्य भत्ते जैसे - गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।
25. **यात्रा एवं दैनिक भत्ता -**
संविदा कर्मचारी द्वारा शासकीय कार्य से यात्रा करने पर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित प्रावधान अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी। **परिशिष्ट-8**, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
26. **टी.डी.एस. कटौती -** संविदा कर्मचारी का मासिक मानदेय राशि में से प्रतिमाह टी.डी.एस. कटौती किया जायेगा।
27. **अवकाश -**
- 27.1 **आकस्मिक अवकाश -** संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 27.2 किसी भी एक समय पर 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु निरंतर आकस्मिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी। 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।
- 27.3 एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।
- 27.4 मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा कर्मचारी द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

- 27.5 कार्य सुविधा की दृष्टि से निर्देशानुसार शासकीय अवकाश दिवसों पर भी आवश्यकता पड़ने पर संविदा कर्मचारी को उपस्थित होना पड़ेगा।
- 27.6 **चिकित्सा अवकाश** – संविदा कर्मचारी को नियमानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
- 27.7 3 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 27.8 चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणीत नहीं किया जायेगा।
- 27.9 **प्रसूति अवकाश** – मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2010/नियम/4 दिनांक 7/06/2010 द्वारा प्रसूति अवकाश की सीमा 90 दिवस के स्थान पर 180 दिवस की गई है। संचालनालय के परिपत्र क्रमांक/1/विज्ञप्त/सेल/संविदा/2012/2122 दिनांक 11/12/2012 के अंतर्गत म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38(1) अनुसार संविदा महिला कर्मचारी को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
- 27.10 प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित सन्तानों तक ही देय होगा।
- 27.11 पुरुष संविदा कर्मचारी को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी।
- 27.12 पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।
- 27.13 पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश को होगा।
28. **अनुबंध –**
- 28.1 संविदा कर्मचारी द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्त प्राधिकारी के साथ राशि 100/- के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।
- 28.2 उपरोक्त अनुबंध संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।
- 28.3 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 28.4 चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जायेगा।
29. **अन्य नियम –**
- 29.1 संविदा नियुक्त पर नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 29.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

- 29.3 संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
- 29.4 नियुक्ति उपरांत नियुक्त संविदा कर्मचारी द्वारा कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकल्प में लिप्त होने पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त आयुष चिकित्सक की संविदा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
- 29.5 यदि संविदा पर नियुक्त कोई संविदा कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 29.6 संविदा कर्मचारी की नियुक्ति अथवा संविदा अवधि में किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में संबंधित जिले के न्यायालय की अधिकारिता होगी।
- 29.7 नियुक्ति उपरांत किसी भी समय पर संविदा कर्मचारी द्वारा वित्तीय अनियमितता में दोष सिद्ध होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
30. संविदा पद हेतु प्रदर्शित पद संख्या परिवर्तनशील है, जिसे भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
31. ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। त्रुटि सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटिवश जिले के चयन/लिंग/जाति/विकलांग श्रेणी के संबंध में गलत अंकन के फलस्वरूप यदि अभ्यर्थी चयनित होता है तो दस्तावेज परीक्षण उपरांत उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी। इस संबंध में कोई दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
32. नियुक्ति आदेश में पदस्थल आवंटन उपरांत, कोई भी आवेदन स्थानान्तरण/आपसी स्थानान्तरण/पदस्थल परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संविदा फॉर्मसिस्ट एन.एच.एम.,म.प्र. के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड

कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।	<p>अनिवार्य :-</p> <ul style="list-style-type: none"> Diploma in Pharmacy PG Diploma in Principles of Clinical Pharmacology Bachelor of Pharmacy Bachelor of Pharmacy in Pharmacology M.Sc. Pharmacy Masters in Pharmacy <p>(Any of the above) तथा म.प्र. फार्मसी काउंसिल मे जीवित पंजीयन होना।</p>	60	<ul style="list-style-type: none"> अनिवार्य शैक्षणिक डिग्री में प्राप्तांको को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। उदाहरणार्थ – <ul style="list-style-type: none"> यदि योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 60 x 50% = 30 अंक प्राप्त होंगे।
	अधिकतम प्राप्तांक		60	
2	अनिवार्य कार्य अनुभव • दो वर्ष का दवा वितरण तथा भण्डारण का नियमित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतोत्तर कार्यानुभव	6 वर्ष अथवा अधिक	20	20 अंक
		4 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		2 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
	कार्य अनुभव • शासकीय स्वास्थ्य संस्था में फॉर्मसिस्ट का नियमित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतोत्तर कार्यानुभव	5 वर्ष अथवा अधिक	20	20 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		40	

* अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबं धी दस्तावेज अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संविदा लेब टेक्निशियन, एन.एच.एम.,म.प्र. के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड

कुल अंक – 100

क्र.	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक योग्यता	अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
1	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से न्यूनतम 60% अंको के साथ उत्तीर्ण होना।	अनिवार्य :- <ul style="list-style-type: none"> 12 वी.(10+2) with DMLT BMLT (Any of the above) <ul style="list-style-type: none"> 45 वर्ष की छूट प्राप्त अभ्यर्थी हेतु म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 11 वी उत्तीर्ण (पीसीबी)। 	60	<ul style="list-style-type: none"> अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताधारी में प्राप्तांको को 60 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। दर्शाये वांछनीय शैक्षणिक योग्यताधारी को अतिरिक्त 10 अंक का वेटेज दिया जाए। वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। उदाहरणार्थ – यदि बी.एस.सी. उत्तीर्ण योग्यता धारी आवेदक के 60% अंक हैं तो $60 \times 60\% = 36$ अंक प्राप्त होंगे।
2	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से उत्तीर्ण होना।	वांछनीय:- <ul style="list-style-type: none"> B.Sc. (Biology) with DMLT. BMLT. (Any of the above)	10	
	अधिकतम प्राप्तांक		70	
3	अनिवार्य कार्य अनुभव <ul style="list-style-type: none"> मेडिकल/ बॉयोला जीकल प्रयोगशाला में 1 वर्ष का नियमित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतोत्तर कार्यानुभव। 	5 वर्ष अथवा अधिक	30	30 अंक
		3 वर्ष अथवा अधिक		20 अंक
		1 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		30	

* अनुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौती/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबं धी दस्तावेज अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा फार्मासिस्ट पदों हेतु रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	रिक्त पद
1	Alirajpur	1
2	Ashoknagar	1
3	Betul	1
4	Bhind	1
5	Bhurhanpur	1
6	Chattarpur	1
7	Chindwara	1
8	Dewas	1
9	Dhar	1
10	Gwalior	6
11	Hoshangabad	1
12	Indore	2
13	Jabalpur	13
14	Jhabua	1
15	Katni	1
16	Khandwa	1
17	Khargone	1
18	Morena	1
19	Narsingpur	1
20	Rajgarh	1
21	Ratlam	3
22	Rewa	1
23	Sagar	1
24	Sehore	1
25	Seoni	1
26	Shajapur	1
27	Sheopur	1
28	Shivpuri	1
29	Sidhi	1
30	Tikamgarh	1
31	Ujjain	3
32	Umaria	1
33	Vidisha	1

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा लेब टेक्निशियन पदों हेतु रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	रिक्त पद
1	Annupur	1
2	Betul	1
3	Bhind	1
4	Bhurhanpur	1
5	Bhopal	4
6	Chattarpur	1
7	Chindwara	1
8	Dewas	1
9	Dhar	1
10	Datia	1
11	Gwalior	4
12	Guna	1
13	Hoshangabad	1
14	Indore	7
15	Jabalpur	11
16	Jhabua	1
17	Katni	1
18	Khandwa	1
19	Khargone	1
20	Morena	1
21	Narsingpur	1
22	Panna	1
23	Rajgarh	1
24	Ratlam	3
25	Rewa	1
26	Sagar	1
27	Sehore	1
28	Seoni	1
29	Shajapur	1
30	Sheopur	1
31	Shivpuri	1
32	Tikamgarh	1
33	Ujjain	1
34	Umaria	1
35	Vidisha	1

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा फार्मासिस्ट के कार्यदायित्वों का विवरण

- रोगिया को दवा का वितरण या स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दवा का वितरण।
- दवा वितरण संबंधी लेखे का संधारण।
- दवा वितरण केन्द्र/ भण्डारण व्यवस्था का केन्द्र जिससे दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित रहे।
- दवाओं की आवश्यकता का आकंलन कम्प्यूटर तथा स्टॉक रजिस्टर में दवा भण्डारण का संधारण।
- दवाओं के मांग पत्रों का उपयोग के अनुसार तैयार कराना तथा प्रदाय आदेश देना।
- कम्प्यूटर आपरेटर तथा सहायक स्टाफ को उनके कार्य के लिए मार्गदर्शन देना।
- स्टेट डाटा मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम का सफल क्रियान्वयन।
- भण्डारण का गुणवत्तात्मक संधारण जिससे भण्डार की हानि, अधिक संधारण, वेस्टेज ,एक्सपाईरी की सुरक्षा आदि का ध्यान रख सकें।
- भण्डार का निश्चित अन्तराल पर भौतिक सत्यापन।
- दवाओं का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण।
- दवा नीति का पालन तथा शासकीय आदेशों का पालन।
- अन्य कार्य जो प्रभारी स्टोर कीपर या चिकित्सालय प्रभारी के द्वारा बतायं जाए।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा लेब टेक्निशियन के कार्यदायित्वों का विवरण

- संस्था के प्रकार के आधार पर न्यूनतम लेब सेवाओं की सुनिश्चितता।
- मरीजों को डॉक्टर द्वारा लिखे गये परीक्षणों के आधार पर सेम्पल आदि एकत्रित करना।
- फील्ड से प्राप्त सेम्पलों की त्वरित जाँच कर रिपोर्ट वापस फील्ड में पहुँचाना।
- पैथोलॉजी विशेषज्ञों के समझ जाँच हेतु सेम्पल्स तैयार करना।
- स्टैण्डर्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अनुसार कार्य करना।
- परीक्षण उपरान्त परिणामों का समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं रिकार्ड का संधारण करना।
- पैथोलॉजी लेब कार्य करने वाले उपकरणों की उचित देखभाल तथा सही तरीके से परिचालन एवं खराब उपकरणों की सुधारात्मक कार्यवाही।
- किट्स एवं रिएजेन्ट्स/केमिकल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कालातीत अवधि का ध्यान रखना।
- परीक्षण के दौरान सभी सुरक्षा साधनों का ध्यान रखना।
- परीक्षणों का पृथक-पृथक रिकार्ड रखना।
- रिपोर्ट को अपने वरिष्ठा से सत्यापित करवाना।
- कितनी गर्भवती महिलाओं को हिमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम पाया गया।
- कितनी गर्भवती महिला जिनका ब्लड ग्रुप RH-Negative पाया गया।
- जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत आपातकालीन लेब सेवा प्रदान की जा रही है या नहीं।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितनी पद ए.एन.एम. को हिमोग्लोबिन, यूरिन, एनव्यूमिन, शूगर आर. डी.आर. दिया गया।
- लेब टेक्नीशियन हेतु आवश्यक रिएजेन्ट्स / सामग्री की उपलब्धता इन्डेन्ट के माध्यम से सुनिश्चित करे।
- सभी शिशुओं की जांचों का पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं।
- एच.आई.वी. की जांच, टी.बी., कुष्ठ की जांच।
- मलेरिया के स्लाइड तैयार करना।

संविदा पद हेतु मासिक मानदेय राशि का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	रिक्त संविदा पद संख्या	* प्रस्तावित मासिक मानदेय राशि (रु)
1	लेबटेक्निशियन (Lab Technician)	59	15,000 / -
2	फॉर्मासिस्ट (Pharmacist)	55	15,000 / -

***Subject to the approval of GoI.**

**राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत
अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु संशोधित यात्रा भत्ता नियम**

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11.12.2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुक्रम में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1/ वर्गीकरण

श्रेणी	संविदा वेतन
(1)	(2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ता:- यात्रा भत्ता नियमों में यात्रा की अवधि में मुख्यालय से अनुपस्थिति पर दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30) मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55-ए अनुसार) दिया जाता है। राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। तदनुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर, एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों (कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर) के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200

3/ यात्रा के साधन:-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकनॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एकजीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एकजीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

4/ उहरने की पात्रता :- शासकीय यात्रा के दौरान निम्नानुसार दरों पर उहरने की सुविधा होगी।

श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर (कालम 2 को छोड़कर) के स्थानों में होटल में उहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में उहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां उहरने पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250

5/ प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय :-

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से यात्रा करने पर स्थानीय यात्राओं हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी।

श्रेणी	संविदा शुल्क अनुसार श्रेणी	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (रूपये में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1200	250
2	बी	800	200
3	सी	500	150
4	डी	300	100

6/ राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत राज्य शासन से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन अनुसार निर्धारित श्रेणियों के अनुक्रम में यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव एवं मिशन संचालक के यात्रा देयक वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे।

7/ शासकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार हवाई यात्रा मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति से की जा सकेगी। प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अन्दर हवाई यात्रा हेतु मिशन संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

समय सारणी

क्रं.	गतिविधियां	तिथि
1.	विज्ञापन प्रकाशन	अगस्त, २०१४
2.	ऑनलाइन आवेदन किया जाना	05 अगस्त 2014 से 30 अगस्त, 2014, तक
3.	ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया	आवेदन प्राप्ति से सतत
4.	एम.पी.ऑनलाईन द्वारा आवेदकों की चयन सूची की संभावित तिथि	सितम्बर, 2014
5.	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं चयनित आवेदकों की पदों पर नियुक्ति की संभावित तिथि	सितम्बर, 2014

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

ऑनलाइन आवेदन एमपीआनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आवेदक द्वारा फार्म ऑनलाइन भरकर **परीक्षा शुल्क 300/- रुपये** का नगद भुगतान एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क एवं सीएससी के माध्यम से नगद किया जा सकता है या आवेदक शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एमपीआनलाइन के अधिकृत कियोस्क एवं सीएससी की सूची के लिये <https://www.mponline.gov.in> पर Authorized Kiosk list link देखें।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-
आवेदक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर क्लिक करें। इसके उपरांत Citizen Services link को क्लिक करें। अब उसे Application में क्लिक करने पर NRHM दिखाई देगा, इसे क्लिक करने पर निम्न लिंक दिखाई देंगी।

Click here to Online Apply

Pay for unpaid Application

इसके उपरांत ही आवेदक [Click here to Online Apply](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। **आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले बेवसाइट पर** में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो.हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो.हस्ताक्षर के प्रारूप हेतु लिंक पर क्लिक करे। क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो

चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर **jpg** या **gif** फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो, हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इसके उपरांत आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर उन्हें परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगेः-

- 1 क्रेडिट कार्ड।
- 2 इंटरनेट बैंकिंग।

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं प्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सह-सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें। फार्म भरते समय आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करना अनिवार्य है। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां पुनः अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म के परीक्षा शुल्क का कियोस्क के माध्यम से [Pay for unpaid Application](#) लिंक द्वारा नगद भुगतान कर सकता हैः-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक [Pay for unpaid Application](#) Link में उक्त जानकारी भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।

आवेदक ऑनलाइन आवेदन की पावती की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखे, क्योंकि इसमें आवेदक का विवरण दर्ज है, जिसका उपयोग आवेदक ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं।

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपीऑनलाइन को डाक के माध्यम से भेजा जायेगा पोर्टल शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किया जावेगा, ऐसे आवेदनों के मान्य न करते हुए निरस्त कर दिये जावेंगे और उसकी जवाबदारी आवेदक की मानी जावेगी।

चयन उपरांत जिलों का आवंटन

उपलब्ध पदों के अनुसार आवेदक का मेरिट के आधार पर चयन होने पर उसके द्वारा दी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान की जावेगी। **आवेदक को कम से कम 10 जिलों की प्राथमिकता का चयन करना अनिवार्य है। आवेदक चाहे तो सभी जिलों की प्राथमिकता भर सकता है।**

आवेदक का मेरिट के आधार पर चयन होने पर उसके द्वारा भरे गये जिलों की प्राथमिकता के आधार पर ही उसकी नियुक्ति की जावेगी। इसके अलावा अन्य जिले में उसकी नियुक्ति नहीं की जावेगी।

उदाहरण के लिए:- आवेदक (अ) द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदक का मेरिट के आधार पर चयन हो चुका है। आवेदक द्वारा नियुक्ति के लिये मात्र 20 जिलों को प्राथमिकता दी गई थी, परंतु आवेदक की प्राप्त अंकों के अनुसार इन 20 जिलों में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक का चयन नहीं होगा।

अतः यह ध्यान रखें कि आवेदक अधिकतम जिलों की प्राथमिकता भरें।

नोटः. यदि आवेदकों को ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है एवं किसी भी कियोस्क या सीएससी द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि 300/- से अधिक की मांग की जाती है तो नीचे दर्शाये दूरभाष नंबरों पर शिकायत करे:- [0755-4019400](tel:0755-4019400)